प्रारूप–एक
(नियम 11)

कार्यालय कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना

क्रमांक / 4025 / अ–82 / भू–अर्जन / 2021–22 / 2022 कोण्डागांव, दिनांक 12 / 10 / 2022

भूमि–अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत अधिनियम 2013 की धारा 4 के अधीन गठित सामाजिक समाघात निर्धारण दल के द्वारा छत्तीसगढ़ भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (सामाजिक समाघात निर्धारण, सहमति तथा जन सुनवाई) 2016 नियम 13, 16 से 20 तक एवं 23 की कार्यवाही किये जाने हेतु नियम–11 के तहत् अधिसूचना प्रकाशित की जाती है।

नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :–

जिला	तहसील	ग्राम / नगर	क्षेत्रफल		लोक प्रयोजन का विवरण
			कुल खसरा	कुल रकबा	
कोण्डागांव	कोण्डागांव	लखापुरी	14	0.773 हे0	जिला कोण्डागांव के ग्राम–लखापुरी से मुलनार मार्ग के कि0मी0 1/6 भंवरडीग नदी पर उच्चस्तरीय पुलमय पहुंच मार्ग निर्माण कार्य में आने वाले ग्राम–लखापुरी की निजी भूमि

उपरोक्त उल्लिखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 20/10/2022 को समय 11.00 बजे स्थान ग्राम पंचायत भवन लखापुरी पर नियत की गई है, प्रस्तावित भूमि का अन्य विवरण निम्नानुसार है :–

एक	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	ग्राम–लखापुरी से मुलनार मार्ग के कि0मी0 1/6 भंवरडीग नदी पर उच्चस्तरीय पुलमय पहुंच मार्ग निर्माण कार्य हेतु
दो	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	14
तीन	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	0
चार	प्रभावित क्षेत्र के निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या	निरंक
पांच	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या	निरंक
छः	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	हॉ 0.773 हेक्टेयर
सात	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	हॉ
आठ	परियोजना का कुल लागत	1584.00 लाख
नौ	परियोजना से होने वाले लाभ	प्रस्तावित सेतुमय पहुँच मार्ग निर्माण के पूर्ण होने पर क्षेत्रवासियों को जिला मुख्यालय, ब्लाक मुख्यालय आने जाने हेतु वर्ष पर्यन्त आवागमन की सुविधा उपलब्ध होगी ।
दस	प्रस्तावित समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय	5.00 लाख
ग्यारह	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	निरंक

उपरोक्त भू–अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/ संस्था को काई जानकारी/ सुझाव देना हो तो वह विहित तिथि/ समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी ।

(दीपक सोनी)
कलेक्टर
जिला–कोण्डागांव
एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

पृ.क्रमांक/4026/अ–82/भू–अर्जन/2021–22/2022 कोण्डागांव, दिनांक12/10/2022

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, छ0ग0शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय नया रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित्।
2. अनुविभागीय अधिकारी (रा0) एवं भू–अर्जन अधिकारी कोण्डागांव को आवश्यक कार्यवाही हेतु मूल प्रकरण सहित प्रेषित्।
3. नियंत्रक, शासकीय मुद्राणालय राजनांदगांव छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ। कृपया इसे राजपत्र भाग–1 में प्रकाशित कर एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध करााने का कष्ट करें।
4. कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, जगदलपुर को सूचनार्थ। कृपया अधिसूचना का प्रकाशन दो स्थानीय समाचार पत्रों में कराकर प्रकाशित प्रति अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू–अर्जन अधिकारी कोण्डागांव को उपलब्ध करावें।
5. डी.आई.ओ. एन.आई.सी. जिला कार्यालय कोण्डागांव को, अधिसूचना को राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के भू–अर्जन से संबंधित वेबसाईट एवं जिला के वेबसाईट में अपलोड करने हेतु एवं अपलोड किये जाने संबंधी प्रमाण पत्र अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कोण्डागांव को उपलब्ध कराने बाबत्।
6. तहसीलदार कोण्डागांव/नायब तहसीलदार मर्दापाल को अधिसूचना की प्रति कार्यालय तहसील, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कलेक्टर जिला कोण्डागांव, कार्यालय ग्राम पंचायत–लखापुरी, कार्यालय जनपद पंचायत–कोण्डागांव में प्रकाशन कर पंचनामा प्रमाण पत्र की प्रति अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कोण्डागांव को पृथक–पृथक उपलब्ध कराने बाबत्।
7. सचिव ग्राम पंचायत–लखापुरी, तहसील–कोण्डागांव को सूचनार्थ एवं अधिसूचना का ग्राम पंचायत–लखापुरी के सूचना पटल पर चस्पा व मुनादी करवाकर रिपोर्ट अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू–अर्जन अधिकारी कोण्डागांव के कार्यालय में प्रस्तुत करें।
8. सामाजिक समाघात अध्ययन दल के समस्त सदस्य.. को सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु।

(दीपक सोनी)
कलेक्टर
जिला–कोण्डागांव
एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग